



-प्रेस नोट-

दिनांक: 02.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में 02 शांतिर वांछित अभियुक्तगण

को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 10.03.2024 को वादी श्री असजद पुत्र अलीनवाज निवासी ग्राम तुरमतखेडी थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. मुबारिक पुत्र जब्बार 2. मुसय्यब पुत्र जब्बार नि0गण ग्राम सिजूड थाना नानौता जिला सहारनपुर 3.बाबू उर्फ समरयाब पुत्र सलीम निवासी ग्राम सिजूड थाना नानौता जिला सहारनपुर के द्वारा एक राय होकर वादी के साथ मारपीट, गाली गलौच करना व जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 44/2024 धारा 307,323,324,504,506,34 भादवि पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेकर हत्या के प्रयास की घटना का सफल अनावरण व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में 02 वांछित अभियुक्तगण 1. मुबारिक पुत्र जब्बार 2. मुसय्यब पुत्र जब्बार नि0गण ग्राम सिजूड थाना नानौता जिला सहारनपुर को ग्राम सिजूड के पास से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 03.04.2024 को अभियुक्त बाबू उर्फ समरयाब उपरोक्त को घटना में प्रयुक्त अवैध चाकू के साथ पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने एक स्वर में बताया कि दिनांक 10.03.24 को हम दोनो व हमारे 01 अन्य साथी बाबू उर्फ समरयाब का ग्राम तुरमतखेडी के पास असजद से किसी बात को लेकर झगडा हो गया था। हम तीनों ने मिलकर एक राय होकर उस पर छुरी से जानलेवा वार किया था जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। बाबू को पुलिस टीम द्वारा पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. मुबारिक पुत्र जब्बार निवासी ग्राम सिजूड थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. मुसय्यब पुत्र जब्बार निवाली ग्राम सिजूड थाना नानौता जनपद सहारनपुर

अभियुक्त मुबारिक उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 44/24 धारा 307,323,504,506,34 भादवि थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं002/23 धारा 380/411 भादवि थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0162/20 धारा 188,269,270 भादवि थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0226/20 धारा 188,269,270 भादवि थाना नानौता जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 301/21 धारा 60(1) आवकारी अधि0 थाना नानौता जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 214/22 धारा 379/411 भादवि थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

अभियुक्त मुसय्यब उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 44/24 धारा 307,323,504,506,34 भादवि थाना नानौता जनपद सहारनपुर.
2. मु0अ0सं0 47/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0195/17 धारा 366 भादवि थाना नानौता जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 शीशपाल सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
- 2.उ0नि0जयवीर सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. है0का0 830 राहुल शर्मा थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. का0 2032 सचिन थाना नानौता जनपद सहारनपुर



दिनांक: 02.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त को किया गया

गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/ वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा 01 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त **राजेन्द्र पुत्र सोभाराम निवासी मौ0 गंगारान कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर संबंधित** वाद सं0-164/24 मु0अ0स0 396/90 धारा 420/323 भादवि बनाम इशतयाक आदि को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

राजेन्द्र पुत्र सोभाराम नि0 मौ0 गंगारान कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
2. उ0नि0 अरविन्द कुमार थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
3. का0 404 मनीष थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 02.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा छात्रा के साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने के 01
वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 30.04.2024 को वादी ने थाना देवबंद पर एक लिखित प्रार्थान पत्र बाबत अभियुक्तगण 1. फैसल पुत्र इदरीश 2. हसीन पुत्र ईदरीश निवासीगण कोहला बस्ती थाना देवबन्द सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री के साथ गलत नीयत से छेड़छाड़ करना, मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना व जातिसूचक शब्द कहने के संबंध में थाना देवबंद पर मु0अ0सं0- 213/24 धारा 354/323/504/506 भादवि 3(2)5ए एससी/ एसटी अभियोग पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, महिलाओं के साथ होने वाले अपरोधों की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना देवबंद के निर्देशन में दिनांक 01.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त फैसल पुत्र इदरीश निवासी कोहला बस्ती थाना देवबन्द सहारनपुर को मंगलौर बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 बिना रजिस्ट्रेशन नम्बर की स्पलैण्डर मोटरसाइकिल बरामद की गयी। बरामद मोटरसाइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

फैसल पुत्र इदरीश निवासी कोहला बस्ती थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

बरामदगी-

➤ 01 मोटर साइकिल स्पलैण्डर प्लस बिना रजिस्ट्रेशन नम्बर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 संजय कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. हे0का0 902 गोविन्द सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. का0 2019 राहुल कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 02-05-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 20.04.2024 को वादी ने थाना बडगाँव उपस्थित आकर एक लिखित प्रार्थना पत्र बाबत अभियुक्त विशाल पुत्र मुकेश निवासी ग्राम बेलडा बुजुर्ग थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने के संबंध में थाना बडगाँव पर मु0अ0स0 86/24 धारा 363 पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेकर अपर्हता की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बडगाँव पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में 01 वांछित अभियुक्त विशाल पुत्र मुकेश निवासी ग्राम बेलडा बुजुर्ग थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर को अम्बेहटा तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। अपर्हता को पुलिस टीम द्वारा बरामद किया गया। विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भादवि व 5एल/6 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विशाल पुत्र मुकेश निवासी ग्राम बेलडा बुजुर्ग थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1. श्री पंकज उपनिरीक्षक थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
2. कां0 2378 सन्नी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
3. हो०गा० 2077 सतीश थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 02.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के 01 वांछित अभियुक्त को किया

गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 08.03.2024 को वादिया ने थाना सदर बाजार पर उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त मुदस्सिर पुत्र तहसीन निवासी मौ०अनारकली टीपू वाली गली (इलाही बख्सी) कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के द्वारा वादिया को गंगोह बुलाकर उसे चाय में नशीला पदार्थ डालकर पिलाने के पश्चात वादिया के साथ गलत काम करना, उसकी वीडियो बनाना व फोटो खींच लेना तथा ब्लैकमेल कर बार बार होटल में बुलाकर उसके साथ गलत काम करने के संबंध में थाना सदर बाजार पर मु०अ०स० 105/24 धारा **328/376/506/354** भादवि पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा **अभियुक्त मुदस्सिर पुत्र तहसीन निवासी मौ०अनारकली टीपू वाली गली (इलाही बख्सी) कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को अंबाला रोड गंगोह बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यावाही कर समय से माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम पता:-

मुदस्सिर पुत्र तहसीन निवासी मौ०अनारकली टीपू वाली गली (इलाही बख्सी) कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.उ० नि० श्री धीर सिंह थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. हे०का० 275 सचिन थाना सदर बाजार सहारनपुर।



दिनांक: 02.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास का 01 शातिर वांछित अभियुक्त को
किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 15.01.2024 को वादी श्री अजय कुमार पुत्र पप्पू निवासी ग्राम खेडाकुटी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर सूचना बाबत अभियुक्तगण 1. अर्जुन गुर्जर पुत्र जसवीर निवासी साल्हापुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर 2. शुभम पुत्र विजय निवासी साल्हापुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर 3. मोहित पुत्र वेदप्रकाश नि० ग्राम सापला बेगमपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर 4. अंकित पुत्र नामालूम नि० ग्राम टोली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर द्वारा वादी व वादी के भाई के साथ गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए जान से मारने की नियत से फायर करने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु०अ०सं० 06/24 धारा 147/148/149/307/504/506 भा०द०वि० पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, उक्त घटना का सफल अनावरण व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त **आशू उर्फ कुलवन्त पुत्र रविन्द्र निवासी शेखपुरा थाना सरसावा सहारनपुर** को उसके घर से समय गिरफ्तार किया गया। दिनांक 16.01.2024 को मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्तगण अर्जुन व शुभम को घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचो के साथ पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त आशू उर्फ कुलवन्त ने बताया कि दिनांक 14.01.2024 को अपने साथी अर्जुन राठी पुत्र जसवीर के कहने पर मैं व हमारे अन्य साथी शुभम, मोहित, अंकित, रोबिन, बिट्टू, आशीष, रितिक व दीपक के साथ मिलकर शाम के करीब 6.30 बजे ग्राम खेडा कुटी चौराहे पर सन्नी की दुकान पर गये थे। हमारा व अजय और उसके भाई सन्नी के साथ पैसो के लेनदेन को लेकर झगड़ा हो गया था जिसमें हमारी उन दोनो भाईयों के साथ गाली गलौच व मारपीट हो गयी थी। तभी अर्जुन व शुभम ने अपने तमंचो से दुकान के सामने खड़े होकर सन्नी व उसके भाई अजय कुमार पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

आशू उर्फ कुलवन्त पुत्र रविन्द्र निवासी शेखपुरा थाना सरसावा सहारनपुर।

अभियुक्त आशू उर्फ कुलवन्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

मु०अ०सं० 136/23 धारा 323/506 भादवि चालानी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1 प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री बीरबल सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. है0का0 713 नितिन थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
4. का01927 पारुल चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
- 5.का088 अरुण कर्दम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
- 6.का0 2245 अंशु यादव थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक - 02.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा गुमशुदा नाबालिग को सुकशल बरामद
कर परिजनों को किया गया सुपुर्द

अवगत कराना है कि दिनांक 30.04.2024 को वादी श्री अतर सिंह पुत्र श्री तुगंलराम पता चकहरेटी जनता रोड पराग डेरी के पास थाना जनकपुरी सहारनपुर ने थाना जनकपुरी पर उपस्थित आकर एक लिखित प्रार्थना पत्र बाबत वादी का पुत्र आर्यन उम्र 13 वर्ष दिनांक 29.04.2024 की शाम को बिना बताये घर से कहीं चला गया है। वादी का पुत्र मन्द बुद्धि है व तुतला कर बोलता है। उक्त के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 78/24 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व गुमशुदा नाबालिग को सकुशल बरामद करने के दिशा निर्देश दिए गए। इसी आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.05.2024 को थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए बिना बताये अपने घर से चले गये बालक आर्यन पुत्र अतर सिंह निवासी चकहरेटी जनता रोड पराग डेरी के पास थाना जनकपुरी को सकुशल बरामद कर उसके परिजनो के सुपुर्द किया गया।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 पीयूष कुमार, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
2. है0कां0 731 पोपिन कुमार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
3. है0कां0 218 अय्यूब अली, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।